L . A. BILL No. XII OF 2021.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १२ सन् २०२१।

महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक ।

सन् २०१७ का महा. ४३।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है, अतः भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०२१ कहलाए।

(२) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह धारा तत्काल प्रवृत्त होगी, और शेष धाराएँ भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव के साथ, राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना नियत द्वारा नियत करें ऐसे दिनांक पर प्रवृत्त होंगी और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए अलग-अलग दिनांक नियत किये जा सकेंगे और इस अधिनियम के प्रारम्भण में किन्ही ऐसे उपबंधों में कोई निर्देश का अर्थ उस उपबंधों के प्रवर्तन के निर्देश के रूप में लगाया जायेगा ।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ७ में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा ७ की, उप-धारा (१) में, खण्ड (क) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा और १ जुलाई, २०१७ से निविष्ट किया गया समझा जायेगा, अर्थात् :— सन् २०१७ का महा. ४३.

"(कक) किसी आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये, अपने सदस्यों या घटकों को या इसके विपरित किसी व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा गतिविधियाँ या संव्यवहारों ;

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति और उसके सदस्यों या संघटकों को दो अलग व्यक्तियाँ समझा जायेंगा और **अन्य बातों के साथ** गतिविधियाँ या संव्यवहार की आपूर्ति एक ऐसे व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को हुई ऐसा समझा जाएगा ;"।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १६ में संशोधन ।

३. मूल अधिनियम की धारा १६ की, उप-धारा (२) के, खण्ड (क) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(क क) खण्ड (क) में निर्देशित बीजक या विकलन पत्र का ब्यौरे बाह्य आपूर्तियों के विवरण में आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये है और ऐसे ब्यौरे धारा ३७ के अधीन विनिर्दिष्ट रीत्या में ऐसे बीजक या विकलन पत्र के प्राप्त कर्ता को संसूचित किये गये है ;"।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ३५ में संशोधन ।

४. मूल अधिनियम की धारा ३५ की, उप-धारा (५), निरसित की जायेगी।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ४४ की प्रतिस्थापना ।

५. मूल अधिनियम की धारा ४४ के स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

वार्षिक विवरण ।

"**४४.** इनपुट सेवा वितरक से अन्यथा, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा ५१ या धारा ५२ के अधीन कर का भुगतान करेगा, आकस्मिक करदेय व्यक्ति और अनिवासी करदेय व्यक्ति वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ उस वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत विवरण में घोषित आपूर्ति के मूल्य मिलाप का स्वप्रमाणित पूनर्मेल विवरण का समावेश हो सकेगा। वह जैसा की विहित किया जाए ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररुप में तथा एसी रीत्या में, इलेक्ट्रोनिक प्रणाली से प्रस्तुत करेगा :

परंतु, आयुक्त, परिषद की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरण दाखिल करने से छूट दे सकेगा :

परंतु यह और भी की, इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग को, लागू नहीं होगी जिनकी खाता बहियाँ भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षण के अध्यधीन है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकरणों के लेखाओं के लेखापरीक्षण के लिए नियुक्त किसी लेखापरीक्षक के अध्यधीन है।"।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ५० में संशोधन ।

६. मूल अधिनियम की धारा ५० की, उप-धारा (१) के, परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक, रखा जायेगा और १ जुलाई २०१७ से रखा गया समझा जायेगा, अर्थात् :—

"परंतु यह कि, कर अवधि के दौरान की गई और धारा ३९ के उपबंधों के अनुसरण में देय दिनांक के पश्चात् प्रस्तुत उक्त अवधि के लिए विवरण में घोषित आपूर्ति के संबंध में देय कर पर ब्याज उक्त अवधि के संबंध में धारा ७३ या धारा ७४ के अधीन किसी कार्यवाही के प्रारम्भण के पश्चात्, जहाँ ऐसा विवरण प्रस्तुत किया है को छोडकर, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाताबही विकलन द्वारा कर अदा किया है उस भाग पर देय होगा ।"।

७. मूल अधिनियम की धारा ५४ की, उप-धारा (८क) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी और १ सितम्बर, २०१९ से रखी गई समझी जायेगी, अर्थात् :— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ५४ में संशोधन ।

"(८क) जहाँ केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार का, प्रतिदाय किया है, वहाँ सरकार, इस प्रकार प्रतिदाय की गई रकम से समान कोई रकम केंद्र सरकार को अंतरित करेगी ।"।

८. मूल अधिनियम की धारा ७४ के, **स्पष्टीकरण** १ खंड (दो) में, "धारा १२२, १२५, १२९ और १३०" शब्दों और अंकों के स्थान में, "धारा १२२ और १२५" शब्द और अंक रखे जायेंगे । सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ७४ में संशोधन ।

९. मूल अधिनियम की धारा ७५ की, उप-धारा (१२) में, निम्न **स्पष्टीकरण**, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ७५ में संशोधन ।

"**स्पष्टीकरण.—**इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "स्वतः-निर्धारित कर" अभिव्यक्ति में, धारा ३७ के अधीन प्रस्तुत जावक आपूर्तियों के ब्यौरे के संबंध में, परंतु धारा धारा ३९ के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी में समावेशित न होनेवाला देय कर सम्मिलित होगा।"।

१०. मूल अधिनियम की धारा ८३ की, उप-धारा (१) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ८३ में संशोधन ।

"(१) जहाँ, अध्याय बारह, अध्याय चौदह या अध्याय पंद्रह के अधीन किसी कार्यवाही शुरू करने के पश्चात्, आयुक्त की यह राय होती है कि, सरकारी राजस्व के हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह, लिखित में आदेश द्वारा, करदेय व्यक्ति या धारा १२२ की उप-धारा (१क) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति से संबंधित बँक खाते समेत कोई सम्पत्ति, जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीत्या में अनंतिम रूप से कूर्क कर सकेगा।"।

११. मूल अधिनियम की धारा १०७ की, उप-धारा (६) में, निम्न परंतुक, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १०७ में संशोधन ।

"परन्तु, कोई अपील, जब तक अपिलकर्ता द्वारा जुर्माने के पच्चीस प्रतिशत के समान राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक धारा १२९ की उप-धारा (३) के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध दाखिल नहीं की जायेगी ।"।

१२. मूल अधिनियम की धारा १२९ की,— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १२९ का संशोधन ।

(एक) उप-धारा (१) के खण्ड (क) और (ख) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखे जायेंगे, अर्थात् :—

"(क) ऐसे मालों पर देय कर के ढ़ाई सौ प्रतिशत के समान शास्ति की अदायगी पर और छूट प्राप्त मालों के मामले में, जहाँ माल का स्वामि ऐसी शास्ति की अदायगी करने के लिए आगे आए मालों के मूल्य के दो प्रतिशत या पच्चीस हजार रुपयों के समान किसी रकम जो भी कम हो, की अदायगी पर ;

(ख) जहाँ माल का स्वामि ऐसी शास्ति की अदायगी करने के लिए आगे नहीं आता है तो, ऐसे मालों के मुल्य के पचास प्रतिशत या मालों पर देय कर के दो सौ प्रतिशत के समान शास्ति का अदायगी पर जो भी उच्चतम हो, और छूटप्राप्त मालों के मामले में मालों के पचास प्रतिशत के समान कोई रकम या पच्चीस हजार रुपयों, जो की कम हो, की अदायगी पर ; " ;

(दो) उप-धारा (२) अपमार्जित की जायेगी ;

(तीन) उप-धारा (३) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

" (३) माल या वाहनों को अटकाव या जब्ती करनेवाला, उचित प्राधिकारी, ऐसे अटकाव या जब्ती के सात दिनों के भीतर देय शास्ति विनिर्दिष्ट करनेवाली सूचना जारी करेगा और तत्पश्चात, उप-धारा (१) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन शास्ति की अदायगी के लिए ऐसी सूचना तामील करने के दिनांक से सात दिनों की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा। " ;

(चार) उप-धारा (४) में " कोई कर, ब्याज या शास्ति नहीं " शब्दों के स्थान में, " शास्ति नहीं " शब्द रखे जायेंगे ;

(पाँच) उप-धारा (६) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

" (६) जहाँ किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामि उप-धारा (३) के अधीन पारित आदेश की प्रति की प्राप्ति के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर, उप-धारा (१) के अधीन शास्ति की रकम अदा करने में असफल होता है तो इसप्रकार अटकाव या जब्त किये गये माल या वाहनों को उप-धारा (३) के अधीन देय शास्ति की वसूल करने के लिए, अन्यथा जैसा कि विहित किया जाए, ऐसी रीत्या में और ऐसे समय के भीतर बेचने, निपटान करने के लिए दायी होगा :

परंतु, उप-धारा (३) के अधीन शास्ति या एक लाख रुपयों, जो भी कम हो, परिवाहक द्वारा भुगतान करने पर परिवहन के लिये छोडा जायेगा :

परंतु यह और भी कि, जहाँ अटकाव या जब्त किया गया माल नश्वर या विघातक स्वरुप में है या समय बीतने से उसके मूल्य में गिरावट होने की संभावना है, तो उचित प्राधिकारी द्वारा पंद्रह दिन की उक्त अवधि कम की जा सकेगी। "।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १३० में संशोधन ।

१३. मूल अधिनियम की धारा १३० की,—

(क) उप-धारा (१) में " इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि " शब्दों के स्थान में, " जहाँ " शब्द रखा जायेगा ;

(ख) उप-धारा (२) कें द्वितीय परंतुक में " धारा १२९ की उप-धारा (१) के अधीन उद्ग्रहीत शास्ति की रकम " शब्द, कोष्ठक और अंकों के स्थान में, " ऐसे माल पर देय कर के सौ प्रतिशत के समान शास्ति " शब्द रखे जायेंगे ;

(ग) उप-धारा (३) अपमार्जित की जायेगी।

सन् २०१७ का महा ४३ की धारा १५१ के स्थान में नई धारा की प्रतिस्थापना ।

१४. मूल अधिनियम की धारा १५१ के स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी अर्थात :—

सूचना मांगने की शक्ति।

" **१५१.** आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररुप में और ऐसी रीत्या में, इस अधिनियम से संबंधित किसी मामले से संबंधित किसी आदेश द्वारा जानकारी प्रस्तुत करके किसी व्यक्ति को निदेश दे सकेगा। "।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १५२ में संशोधन ।

१५. मूल अधिनियम की धारा १५२ की,—

(क) उप-धारा (१) में,—

(एक) " कोई व्यक्तिगत विवरण या उसका भाग " शब्द विलोपित किए जायेंगे ;

(दो) " इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाहियाँ " शब्दों के पश्चात् " संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना " शब्द निविष्ट किए जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (२) अपमार्जित की जायेगी।

सन् २०१७ का महा. ४३ की अनुसूची दो में संशोधन ।

१६. मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची दो में, परिच्छेद ७ अपमार्जित किया जायेगा और १ जुलाई २०१७ से अपमार्जित किया गया समझा जायेगा।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

माल और सेवा कर परिषद द्वारा माल और सेवा कर विधियों में संशोधन की आवश्यकता के कारण विभिन्न निर्णय लिये गये हैं। तदनुसार, संसद ने वित्त अधिनियम, २०२१ (सन् २०२१ का १३) द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (सन् २०१७ का १२) और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (सन् २०१७ का १३) संशोधित किये गये है। केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ और महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (सन् २०१७ का महाराष्ट्र ४३) के उपबंधों की एकरूपता और प्रयोज्यता बनाए रखने के उद्देश्य से महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ में संशोधन करना इष्टकर है।

२. महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ में प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएँ यथा निम्न है :–

(एक) **धारा ७ की उप-धारा (१) में नवीन खंड (क क) और स्पष्टीकरण का निवेशन :—** धारा ७ की उप-धारा (१) में एक नवीन खंड (क क) के निवेशन द्वारा १ जुलाई, २०१७ से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किया जा रहा है ताकि, नगद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये अपने सदस्यों या घटकों को या इसके विपरित, किसी व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा मालों या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित गतिविधियों या संव्यवहार पर कर का उद्ग्रहण करना सुनिश्चित किया जा सकें।

इसमें **स्पष्टीकरण** सम्मिलित करने का भी प्रस्तावित है यह स्पष्ट करने के लिये कि, वह व्यक्ति या उसके सदस्यों या घटकों को दो अलग-अलग व्यक्ति समझा जायेगा और गतिविधियों या संव्यवहारों की आपूर्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हुई समझी जायेगी।

(दो) **धारा १६ की उप-धारा (२) में नवीन खंड (क क) का निवेशन :—**धारा १६ की उप-धारा (२) में एक नवीन खंड (क क) सम्मिलित करके संशोधित किया जा रहा है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि, आपूर्तिकर्ता द्वारा जावक आपूर्ति विवरण में, ऐसे बीजक या नामे नोट का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है और ऐसा ब्यौरा ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसूचित किया गया है तो ऐसे बीजक या नामे नोट पर इनपुट कर का उपयोग किया जा सकें।

(तीन) **धारा ३५ की उप-धारा (५) का अपमार्जन :—**यह संशोधन धारा ३५ की उप-धारा (५) अपमार्जित करने का आशय रखती है ताकि, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं और विनिर्दिष्ट व्यावसायिक द्वारा प्रस्तुत मेल-मिलाप विवरण पाने की अनिवार्य आवश्यकता को हटाया जा सकें।

(चार) **धारा ४४ के लिये नवीन धारा का प्रतिस्थापन :—**यह संशोधन धारा ४४ को प्रतिस्थापित करने का आशय रखता है ताकि, विनिर्दिष्ट व्यावसायिक द्वारा सम्यक्तया लेखापरिक्षित मेल-मिलाप विवरण प्रस्तुत करने की अनिवार्य आवश्यकता को हटाया जा सके और स्व-प्रमाणन के आधार पर वार्षिक विवरण दाखिल करने का उपबंध किया जा सकें। यह करदाताओं के एक वर्ग को वार्षिक विवरण दाखिल करने की आवश्यकता से छूट देने के लिये आयुक्त को सशक्त करता है।

(पाँच) **धारा ५० की उप-धारा (१) में संशोधन :—**इस संशोधन में धारा ५० की उप-धारा (१) का परन्तुक प्रतिस्थापित करने का आशय है ताकि, १ जुलाई, २०१७ से भूतलक्षी प्रभाव से शुद्ध नकद दायित्वता पर ब्याज प्रभारित किया जा सकें।

(छह) **धारा ५४ की उप-धारा (८क) में संशोधन :—**इस संशोधन में धारा ५४ की उप-धारा (८क) प्रतिस्थापित करने का आशय रखती है ताकि, १ सितम्बर, २०१९ से भूतलक्षी प्रभाव से केन्द्र सरकार द्वारा राज्य कर प्रतिदाय की राशि के समान राशि केन्द्र सरकार को अन्तरित करने के लिये सरकार को समर्थ किया जा सकें।

(सात) **धारा ७४ में संशोधन :—**धारा ७४ संशोधित की जा रही है ताकि, परिवहन में कर वसूली की अलग कार्यवाही में माल और वाहनों को जब्त और जमा कर सकें।

(आठ) **धारा ७५ की उप-धारा (१२) में स्पष्टीकरण का निवेशन :—**धारा ७५ की उप-धारा (१२) में **स्पष्टीकरण** निविष्ट किया जा रहा है, यह स्पष्ट करने के लिये कि, धारा ३७ के अधीन प्रस्तुत जावक आपूर्ति के ब्यौरे के संबंध में देय कर सम्मिलित होगा, परन्तु, धारा ३९ के अधीन प्रस्तुत विवरण में सम्मिलित नहीं होगा।

(नौ) **धारा ८३ की उप-धारा (१) में संशोधन :—**धारा ८३ की उप-धारा (१) प्रतिस्थापित की जा रही है ताकि, यह उपबंध किया जा सके कि, अनंतिम कुर्की (जब्ती) तद्धीन बनाए गए आदेश के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के अवसान तक अध्याय बारह, अध्याय चौदह या अध्याय पंद्रह के अधीन किसी कार्यवाही की शुरुआत से शुरू होनेवाली संपूर्ण अवधि के लिये वैध रहेगी।

(दस) **धारा १०७ की उप-धारा (६) में संशोधन :—**इस संशोधन में धारा १०७ की, उप-धारा (६) में नवीन परन्तुक निविष्ट करने का आशय है, ताकि यह उपबंध किया जा सके कि, जब तक अपीलार्थी द्वारा शास्ति की पच्चीस प्रतिशत के समान राशि आदा नहीं की जाती है, तब तक धारा १२९ की उप-धारा (३) के अधीन किये गये किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की जायेगी।

(ग्यारह) **धारा १२९ में संशोधन :—**धारा १२९ संशोधित की जा रही है ताकि, माल या वाहनों की जब्ती और शास्ति के उद्ग्रहण से संबंधित धारा १३० के अधीन कार्यवाही से परिवहन में माल और वाहनों को हिरासत में लेने, जब्त करने और निर्मुक्त करने से संबंधित उस धारा के अधीन कार्यवाही को अलग किया जा सकें।

(बारह) **धारा १३० में संशोधन :—**धारा १३० संशोधित की जा रही है ताकि, परिवहन में माल और वाहनों को हिरासत में लेने, जब्त करने और निर्मुक्त करने से संबंधित धारा १२९ के अधीन कार्यवाही से माल या वाहनों की जब्ती और शास्ति के उद्ग्रहण से संबंधित उस धारा के अधीन कार्यवाही को अलग किया जा सकें।

(तेरह) **धारा १५१ का प्रतिस्थापन :—**धारा १५१ प्रतिस्थापित की जा रही है ताकि, आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी को अधिनियम के संबंध में किसी भी मामले से संबंधित किसी व्यक्ति से सूचना मांगने के लिये सशक्त किया जा सकें।

(चौदह) **धारा १५२ की उप-धारा (१) में संशोधन :—**धारा १५२ की उप-धारा (१) संशोधित की जा रही है ताकि, यह उपबंध किया जा सके कि, धाराएँ १५० और १५१ के अधीन प्राप्त जानकारी का संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना, अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये उपयोग नहीं किया जायेगा।

(पंद्रह) **अनुसूची दो में संशोधन :—**यह संशोधन धारा ७ में किये गये संशोधन के परिणामस्वरूप, १ जुलाई, २०१७ से भूतलक्षी प्रभाव से अनुसूची दो का परिच्छेद ७ अपमार्जित करने का आशय रखता है।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित २९ जून, २०२१।

अजित पवार,
वित्त मंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ निम्न प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त है, अर्थात् :—

खंड १(२).—इस खंड के अधीन, राज्य सरकार को, राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, पूर्वेक्षित या भूतलक्षी प्रभाव के साथ इस अधिनियम की शेष धाराओं को प्रश्न करने को दिनांक, इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए निम्न और विभिन्न दिनांकों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खंड ५.—इस खंड के अधीन, जिसका आशय महाराष्ट्र माल तथा सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा ४४ में संशोधन करता है जिसमें, किसी इनपुट सेवा वितरक से अन्य प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा ५१ या धारा ५२ के अधीन कराधेय व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति जिस समय के भीतर और प्रपत्र और रीति में वार्षिक विवरणी भरेगा उसे नियमों द्वारा विहित करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है।

खंड १०.—इस खंड के अधीन, जिसका आशय महाराष्ट्र माल तथा सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा ८३ में उप-धारा (१) प्रतिस्थापित करनी है, जिसमें आयुक्त, धारा १२२ की उप-धारा (१क) में विनिर्दिष्ट कराधेय व्यक्ति या किसी व्यक्ति से संबंधित बैंक खाता समेत किसी संपत्ति को अन्तिम रूप से संलग्न करेगा उसकी रिति नियमों द्वारा विहित करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है।

खंड १२ (पाँच).—इस खंड के अधीन, जिसका आशय महाराष्ट्र माल तथा सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा १२९ में उप-धारा (६) प्रतिस्थापित करना है, जिसमें वह रीति और समय नियमों द्वारा विहित करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है जिसमें उस धारा के अधीन माल या सुविधा निरूद्ध या अभिग्रहित करनी होगी।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये ऊपरल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के है।

वित्तिय ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक केंद्रीय माल तथा सेवा कर अधिनियम, २०१७ और महाराष्ट्र माल तथा सेवा कर अधिनियम, २०१७ के उपबंधों को एकरूपता और लागू करने को अनुरक्षित करने की दृष्टि से, महाराष्ट्र माल तथा सेवा कर अधिनियम, २०१७ (सन् २०१७ का महा. ६३) की धारा में ७, १६, ३५, ४४, ५०, ५४, ७४, ७५, ८३, १०७, १२९, १३०, १५१ और १५२ और अनुसूची दो में संशोधन करना प्रस्तावित है। अत: यह अधिनियम राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में अधिनियमित होने पर राज्य की समेकित निधि में से इस निमित्त उपगत किये जानेवाले आवर्ती और अनावर्ती व्यय को सम्मिलित करने के लिये इस विधेयक में कोई उपबंध नहीं किया गया है।

(यथार्थ अनुवाद)
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित १ जुलाई, २०२१।

राजेन्द्र भागवत,
सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल की अनुशंसा।

(महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग, आदेश कि प्रत)

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, २०२१ ई. पर पुर:स्थापना करने की अनुशंसा करते है।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित १ जुलाई, २०२१।

राजेन्द्र भागवत,
सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।